

अनुदान संख्या 98 - दमन और दीव
GRANT No. 98-DAMAN AND DIU

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	493,58,00		
पूरक	Supplementary	153,75,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	647,33,00	647,07,92	-25,08
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	47,27,00		
पूरक	Supplementary	8,20,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	55,47,00	55,45,27	-1,73
				शून्य Nil
				1,49

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
क - गृह मंत्रालय	A - Ministry of Home Affairs			
मुख्य शीर्ष "2012"	Major Head "2012"			
राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	President, Vice President/ Governor, Administrator of Union Territories			
मू.	O.	66.00		
पू.	S.	8.00	58.87	58.65
पु.	R.	-15.13		-0.22

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
ख - कृषि मंत्रालय	B - Ministry of Agriculture			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O.	113.00		
पू.	S.	8.00	83.08	83.00
उ.	R.	-37.92		-0.08
घ - विद्युत मंत्रालय	D - Ministry of Power			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
बिजली	Power			
मू.	O.	39935.00		
पू.	S.	12650.00	52521.38	52521.30
उ.	R.	-63.62		-0.08
ज - स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	H - Ministry of Health and Family Welfare			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	989.00		
पू.	S.	345.00	1222.00	1219.05
उ.	R.	-112.00		-2.95
ग - उच्च शिक्षा विभाग	J - Department of Higher Education			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O.	1095.00		
पू.	S.	138.00	1356.32	1353.28
उ.	R.	123.32		-3.04
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"			
तकनीकी शिक्षा	Technical Education			
मू.	O.	233.00		
पू.	S.	24.00	233.41	231.25
उ.	R.	-23.59		-2.16

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष
त - सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्रालय
मुख्य शीर्ष "3054"
सड़क तथा सेतु

Head
**P - Ministry of Road
Transport and Highways**
Major Head "3054"
Roads and Bridges

मू.	O.	440.00	1311.96	1310.52	-1.44
पू.	S.	715.00			
पु.	R.	156.96			

(I) 149.10 लाख रु. का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.149.10 lakhs remained wholly unutilised under sixteen heads.

(II) अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained in October, 2008 remained wholly unutilised under the following major heads as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2012" - "राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक - सचिवालय - दमन और दीव" - 58.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 66.90 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 8.25 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) Major Head "2012" - "Governor/ Administrator of Union Territories - Secretariat - Daman and Diu" - the original provision of Rs.58.90 lakhs was augmented to Rs.66.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.8.25 lakhs (including supplementary grant) - due to economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष "2401" - "निदेशन और प्रशासन - दमन और दीव" - 26.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 34.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 8.02 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(B) Major Head "2401" - "Direction and Administration - Daman and Diu" - the original provision of Rs.26.00 lakhs was augmented to Rs.34.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.8.02 lakhs (including supplementary grant); and

(गा) मुख्य शीर्ष "2202" - "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - सरकारी कालेज" - 149.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 157.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 18.29 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(C) Major Head "2202" - "University and Higher Education - Direction and Administration - Government College" - the original provision of Rs.149.00 lakhs was augmented to Rs.157.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.18.29 lakhs (including supplementary grant).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(घा) मुख्य शीर्ष "2203" - "निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक निदेशालय" - 94.20 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 108.20 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 22.68 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, छात्रवृत्ति/वजीफे की पद्धति को अनुमोदन प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(III) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2801" - "संचरण तथा वितरण - निदेशन तथा प्रशासन - दमन और दीव" - 308.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 408.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 23.88 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" - "लोक स्वास्थ्य - निदेशन और प्रशासन - स्वास्थ्य सेवा निदेशालय" - 603.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 340.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 943.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 77.48 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष "2202" - "माध्यमिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - सरकारी माध्यमिक विद्यालय" - 144.84 लाख रु. का अधिक व्यय (अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 80.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 616.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(D) Major Head "2203" - "Direction and Administration - Directorate of Administration" - the original provision of Rs.94.20 lakhs was augmented to Rs.108.20 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.22.68 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of approval of pattern of scholarships/stipends and economy measures.

(III) Supplementary grant obtained in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Direction and Administration - Daman and Diu" - the original provision of Rs.308.00 lakhs was augmented to Rs.408.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.23.88 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) Major Head "2210" - "Public Health - Direction and Administration - Directorate of Health Services" - the original provision of Rs.603.00 lakhs was augmented to Rs.943.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.340.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.77.48 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2202" - "Secondary Education - Direction and Administration - Government Secondary Schools" - excess of Rs.144.84 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.616.00 lakhs including

की रिपोर्ट लागू किए जाने और रिक्त पदों को एसीपी स्कीम के अंतर्गत भरे जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष “3054” - “जिला और अन्य सड़कें - जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतें - पंचायतों को सहायता” - 146.00 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 600.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 730.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दमन और दीव जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जिला सड़कों का रखरखाव और मरम्मत किए जाने और फैले हुए निर्माण कार्य को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 151.27 लाख रु. की बचत छह मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 149.54 लाख रु. के अधिक व्यय की तुलना में इक्कीस मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई जिसके परिणामस्वरूप 1.73 लाख रु. की कुल बचतें हुईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

supplementary grant of Rs.80.00 lakhs obtained in October, 2008) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report and filling up of vacant posts on ACP schemes.

(II) Major Head “3054” – “District and Other Roads – Assistance to Zila Parishads/District Level Panchayats – Panchayats” – excess of Rs.146.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.730.00 lakhs including supplementary grant of Rs.600.00 lakhs obtained in February, 2009) was due to maintenance and repairs of various district roads in rural areas of Daman and Diu District and completion of spill over works.

3. In the capital section of the grant, savings of Rs.151.27 lakhs occurred under twenty one major heads against excess of Rs.149.54 lakhs under six major heads resulting in overall savings of Rs.1.73 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष		Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- ..
न - शहरी विकास मंत्रालय मुख्य शीर्ष “4202” शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		T - Ministry of Urban Development Major Head “4202” Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O.	222.00	329.50	329.50	..
पु.	R.	107.50			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) 20.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.20.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads.

(II) उपर्युक्त बचतें “सामान्य शिक्षा - अन्य व्यय -सामान्य प्रशासन” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - 114.33 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अत्यावश्यक प्रकृति के मुख्य निर्माण कार्यों का निष्पादन किए जाने और दमन और दीव जिले में माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का नवीकरण और निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

(II) The above savings were offset by excess under “General Education – Other Expenditure – General Administration” – excess of Rs.114.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to undertaking of major works of urgent nature for execution and renovation and construction of middle and high schools in Daman and Diu District.
